



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936

No. 252]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त 2014

1.0 पहुंच प्रबंध संबंधी दिशा-निर्देश

फा. सं. इंफ्रा/सीजीडी/एक्सेस अरेजमेंट/1.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खण्ड (क) के पहले परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड एतद्वारा पहुंच प्रबंध संबंधी दिशा-निर्देश, नामतः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सीजीडी नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता से संबंधित साइडल पहुंच प्रबंध) दिशा-निर्देश, 2014 (इसके बाद में "पहुंच प्रबंध सम्बंधी दिशा-निर्देश" के रूप में उल्लेख किया जाएगा)।

ये दिशा-निर्देश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए पहुंच संहिता) विनियम, 2011 (इसके बाद से "सीजीडी पहुंच संहिता" के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार प्राधिकृत कंपनी और शिपरो के बीच पहुंच प्रबंध करने के लिए मार्गदर्शी मिद्धान्त उपलब्ध कराते हैं।

इन दिशा-निर्देशों में यहां प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, लेकिन जिन्हें अधिनियम या नियमों या उसके अंतर्गत निर्मित विनियमों में परिभाषित किया गया है, का अधिनियम या नियमों या विनियमों, जैसी स्थिति हो, में उन्हें क्रमशः दिया गया अर्थ होगा।

2.0 सेवाएं

पहुंच प्रबंध में प्राधिकृत कंपनी द्वारा शिपर को उपलब्ध कराई जाने वाली निम्नलिखित सेवाएं शामिल होंगी:

- (क) प्रवेश बिंदु पर गैस की प्राप्ति;
- (ख) प्रवेश बिंदु पर गैस की प्राप्ति से लेकर निकास बिंदु पर सुपुर्दगी तक;
- (ग) निकास बिंदु पर गैस की सुपुर्दगी;
- (घ) मीटरिंग और बिलिंग के प्रयोजनार्थ गैस मात्रा का माप, गुणवत्ता, दबाव, तापमान और अन्य कोई मापदण्ड तथा नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की प्रचालनात्मक और सुरक्षा आवश्यकताएं;
- (ङ) नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का रखरखाव, जिसमें सभी संबद्ध सामग्री, ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए लगाए गए उपकरण और यंत्र शामिल हों;
- (च) कंपनियों के बीच परस्पर सहमति से नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में शिपर की गैस सम्बंधित इन्वेंटरी का प्रबंधन करना होगा।

प्राधिकृत कंपनी, शिपर को ऐसी अन्य सेवाएं उपलब्ध करा सकती है जैसी कि नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के संबंध में प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच लिखित में सहमति हो।

3.0 शिपर का प्राधिकृत कंपनी के साथ पंजीकरण तथा गारंटियां

कोई कंपनी, जो शिपर के रूप में आवेदन करना चाहती है, सीजीडी पहुंच संहिता कोड के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शिपर के रूप में पंजीकृत होने हेतु प्राधिकृत कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में आवेदन करेगी। प्राधिकृत कंपनी शीघ्र प्रोसेसिंग करने और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के लिए व्यवस्था कर सकती है।

शिपर के रूप में पंजीकरण हेतु पूर्व शर्तों में निम्नलिखित शामिल होगा -

- (क) शिपर के प्रत्यय पत्रों का सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के उप-विनियम (घघ) के अनुसार प्राधिकृत कंपनी द्वारा आकलन किया गया हो;
- (ख) प्राधिकृत कंपनी शिपर के पंजीकरण के लिए मानक आवेदन प्रपत्र वेब पर डालेगी तथा पहुंच प्रबंध के मानक प्रावधानों पर शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें सेवा की मानक निबंधन एवं शर्तें, अन्य कोई निबंधन एवं शर्तें शामिल होंगी जो परस्पर सहमति से हो सकती है लेकिन जो पहुंच प्रबंध दिशा-निर्देश के उल्लंघन में नहीं होगी। प्राधिकृत कंपनी आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन की पावती उसके प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर भेजेगी। यदि प्राधिकृत कंपनी द्वारा वेब पर डाले गए मानक आवेदन प्रपत्र में मूचीबद्ध अनुसार सभी आवश्यक आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो प्राधिकृत कंपनी आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिनों के अंदर सफल आवेदक को अधिसूचित करेगा तथा अन्य सभी आवश्यकताएं और औपचारिकताएं पूरा करेगा जिनमें ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से एक सौ बीस दिनों की समाप्ति के अंदर फर्स्ट गैस-इन सुविधा प्रदान करने के लिए पहुंच प्रबंध हेतु करार पर हस्ताक्षर करना शामिल होगा। आवेदन के रद्द होने की स्थिति में प्राधिकृत कंपनी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के समाप्त होने

से पहले रद्द किए जाने के कारणों को आवेदक को सूचित करेगा। यदि आवेदक को सफल घोषित नहीं किया जाता है तो वह निवारणार्थ बोर्ड को अप्रोच कर सकता है। इस मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

- (ग) शिपर प्राधिकृत कंपनी को अप्रतिसंहरणीय परिक्रामी बिना शर्त अतिरिक्त ऋण-पत्र या अन्य कोई साधन, जैसा कि परस्पर सहमति के अनुसार हो, के रूप में साठ दिनों की अधिकतम दैनिक मात्रा (एमडीक्यू) के बराबर भुगतान गारंटी उपलब्ध कराएगा और उसे बनाए रखेगा। घरेलू ग्राहकों को गैस आपूर्ति के मामले में शिपर परस्पर सहमत वित्तीय साधन के रूप में एक सौ बीस दिनों की औसत गैस खपत की भुगतान सुरक्षा उपलब्ध कराएगा ताकि शिपर द्वारा गैस की आपूर्ति में असफल रहने की स्थिति में इस खण्ड को आपूर्ति के बाधित होने से बचाया जा सके। इसके अलावा, शिपर घरेलू कनेक्शनों के मामले में अंतिम मील कनेक्टिविटी से संबंधित प्राधिकृत कंपनी को आवश्यक सुरक्षा जमा राशि भी उपलब्ध करवाएगा।

4.0 शिपर तथा प्राधिकृत कंपनी की बाध्यताएं

शिपर प्रवेश बिंदु पर गैस की सुपुर्दगी करेगा तथा निकास बिंदु पर गैस प्राप्त करेगा।

शिपर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी गैस की उपलब्धता वाले नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क गैस विशिष्टि के अनुरूप हों और यह नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क प्रवाह के लिए दबाव और तापमान की प्रचालन रेंज के अंदर हों। सभी प्रवेश बिंदु पर प्रवेश दबाव और तापमान शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच परस्पर सहमति से होगा।

शिपर सभी देनदारियों का भुगतान करेगा तथा पहुंच प्रबंध के अंतर्गत अपनी वाणिज्यिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए ऐसी गारंटी, जमानत और सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा।

शिपर प्राकृतिक गैस के लिए अपने ग्राहकों से बिलिंग और देय राशि की वसूली के लिए उत्तरदायी होगा, जबकि लागू शुल्क के लिए कंपनी शिपर को बिल देगी। जिस प्रकार घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए मीटर रीडिंग हेतु कंपनी उत्तरदायी होती है, उस ही प्रकार कंपनी को परस्पर सहमति के अनुसार शिपर से मीटर रीडिंग शुल्क लेने का अधिकार होगा। शिपर प्राकृतिक गैस के लिए बिलिंग और राशि की वसूली के संबंध में अपने ग्राहकों से प्राप्त किसी शिकायत के लिए भी उत्तरदायी होगा तथा इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए गुणवत्ता सेवा सम्बंधी आचार विनियम संहिता) विनियामक 2010 के अनुसार निपटा जाएगा।

प्राधिकृत कंपनी प्रवेश बिंदु पर प्राप्त गैस का परिवहन नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क द्वारा करेगी और गैस की निकास बिंदु पर सुपुर्दगी करेगी।

प्राधिकृत कंपनी नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तथा इसकी संबद्ध सेवाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी।

प्राधिकृत कंपनी शिपर द्वारा कोई चूक करने की स्थिति में घरेलू ग्राहकों के लिए अंतिम उपाय के रूप में आपूर्तिकर्ता के तौर पर कार्य करेगी।

5.0 प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु पर सुविधाएं

- (क) पहुंच प्रबंध में प्राधिकृत कंपनियों द्वारा शिपर को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की एक सूची बनाई जाएगी।

- (ख) पहुंच प्रबंध में दर्शाया जाएगा कि क्या प्राधिकृत कंपनी या शिपर प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु पर सभी सुविधाओं की मालिक हैं, और उनका रखरखाव एवं प्रचालन करते हैं।
- (ग) प्राधिकृत कंपनी को अधिनियम के अंतर्गत अन्य संगत अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने के लिए सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 8 के अनुसार असीमित अधिकार होगा तथा शिपर, उचित नोटिस देने पर, जैसी स्थिति हो, अपनी निजी लागत पर प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु सुविधाओं का निरीक्षण कर सकता है।
- (घ) प्राधिकृत कंपनी और शिपर विनिर्दिष्ट अनुसार माप के प्रयोजनार्थ संबंधित स्थलों पर एक ही मानक समय का पालन करेंगे।
- (ङ.) चाहे उनका मालिक शिपर हो या प्राधिकृत कंपनी, सुविधाओं का रखरखाव सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 19 तथा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित संगत विनियमों के अनुसार समय-समय पर किया जाएगा।
- (च) प्रवेश या निकास बिंदु पर स्वचालन तथा प्राधिकृत कंपनी द्वारा शिपर को उपलब्ध कराए गए घरेलू मीटर सहित अतिरिक्त सुविधाओं, जैसी आवश्यक हों, के लिए शिपर द्वारा वहन किया गया शुल्क ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्राधिकृत कंपनी द्वारा खर्च की गई वास्तविक लागत होगी।
- (छ) शिपर या शिपर के ग्राहकों द्वारा चोरी या कदाचार के मामलों में प्राधिकृत कंपनी को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को रोकने या बंद करने का अधिकार होगा जिसकी सूचना शिपर को इसके वैध कारणों का उल्लेख करते हुए दी जाएगी। तत्पश्चात् शिपर को यह सुनिश्चित करना होगा कि गैस की आपूर्ति को बहाल करने से पहले प्राधिकृत कंपनी को अपेक्षित जुर्माना और गैस पुनः समायोजन के अंतर का भुगतान किया जाए। इसके अलावा, शिपर तृतीय पक्ष द्वारा क्षति के कारण हुई गैस हानि के लिए प्राधिकृत कंपनी के नेटवर्क में गैस की आपूर्तियों के अपने अंश के अनुपात में अंशदान करेगा।

6.0 सेवा बाध्यताएं

(1) मीटरिंग

प्राधिकृत कंपनी द्वारा नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में परिवहन की जाने वाली गैस के माप और विश्लेषण के संबंध में शिपर और प्राधिकृत कंपनी के अधिकार, हित, प्रसंविदाएं और बाध्यताएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए गुणवत्ता सेवा पद्धति संहिता) विनियम, 2010 के विनियम 6 के अनुसार मीटर लगाने के लिए प्राधिकृत कंपनियों की पद्धति संहिता में निर्धारित अनुसार होंगे।

प्राधिकृत कंपनी प्रवेश बिंदु पर शिपर की लागत पर या पहुंच प्रबंध में सहमति अनुसार मीटरिंग सुविधा उपलब्ध करवाएगी। प्राधिकृत कंपनी द्वारा गैस की मात्रा मापने के लिए माप उपकरण लगाया जाएगा और उसका रख-रखाव किया जाएगा-

(क) प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क पर प्राप्त; और

(ख) प्रत्येक निकास स्थल के जरिए सुपुर्दगी।

प्राधिकृत कंपनी प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर गैस की गुणवत्ता को मापने के लिए प्रावधान करेगा या अपस्ट्रीम पाइपलाइन सेवा प्रदायक या गैस आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा का प्रयोग करेगा तथा निकास स्थल

पर गैस की गुणवत्ता पर कोई विवाद होने की स्थिति में इसका परस्पर स्वीकार्य पद्धति के जरिए माप करेगा। प्राधिकृत कंपनी के मीटर में कोई दोष पाए जाने की स्थिति में इस कारण से होने वाले व्यय को प्राधिकृत कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा और यदि मीटर में कोई दोष नहीं पाया जाता है तो व्यय शिपर द्वारा वहन किया जाएगा। मीटरिंग का डिजाइन सभी लागू कानूनों एवं विनियमों और मीटर लगाने के लिए प्राधिकृत कंपनी की पद्धति संहिता के अनुपालन में किया जाएगा तथा यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(2) माप उपकरण का वैकल्पिक स्वामित्व

पहुंच प्रबंध में माप उपकरण, यदि आवश्यकता हो, का वैकल्पिक स्वामित्व प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच परस्पर सहमति से होगा।

(3) वैधता और अंशशोधन

माप उपकरण के लिए वैधीकरण और अंशशोधन की प्रक्रिया और पद्धति प्राधिकृत कंपनी की माप पद्धति संहिता तथा तकनीकी मानकों पर विनियमों का अनुपालन करने के अनुसार होगी।

माप उपकरण के प्रचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार पक्ष अपने निजी खर्च पर -

(क) उक्त माप उपकरण को वैध करेगा; और

(ख) जब कभी आवश्यक समझा जाएगा उक्त माप उपकरण का अंशशोधन किया जाएगा, जो कि मीटर लगाने के लिए प्राधिकृत कंपनी की माप प्रक्रिया संहिता में निर्धारित अनुसार होगा।

प्राधिकृत कंपनी, जहां आवश्यक होगा, शिपरों द्वारा लगाए गए उपकरण को मापने की अतिरिक्त जांच कर सकती है।

प्राधिकृत कंपनी अपने माप उपकरण की वैधता या अंशशोधन, जैसी भी स्थिति हो, करवाते समय प्रक्रिया के गवाह के रूप में संगत शिपरों को आमंत्रित करेगी। तथापि, ऐसी वैधता या अंशशोधन को शिपर की अनुपस्थिति के कारण बंद या आस्थगित नहीं किया जाएगा।

यदि माप उपकरण की वैधता के परिणाम पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो विवादित पक्ष दूसरे पक्ष को वैधता की तारीख से सात दिनों के अंदर सूचित करेगा।

प्राधिकृत कंपनी वैधता का सत्यापन करने के लिए किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ को निर्देश देगी। यदि विशेषज्ञ वैधता को सही पाता है, तो विवादित पक्ष उक्त वैधता और स्वतंत्र विशेषज्ञ पर होने वाला खर्च उठाएगा। यदि माप उपकरण की वैधता गलत पाई जाती है तो प्राधिकृत कंपनी न केवल इस प्रक्रिया का पूरा खर्च वहन करेगी अपितु हानि (विवाद की तारीख से दोष पाए जाने तक), यदि कोई हो, के लिए शिपर को उनके बिलिंग चक्र में मुआवजा देगी, जो दोष माप के कारण हो सकता है।

(4) माप उपकरण का प्रचालन और रखरखाव

माप उपकरण की मालिक कंपनी प्राधिकृत कंपनी का मीटर लगाने की माप पद्धति संहिता तथा तकनीकी मानकों के अनुपालन के अनुसार सभी माप उपकरणों के प्रचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी। तथापि, प्रवेश बिंदु तथा औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों, जहां माप उपकरण की लागत शिपर द्वारा वहन की जाती है, के

मामले में प्राधिकृत कंपनी परस्पर करार के अनुसार माप सुविधा की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव (आवश्यक प्रतिस्थापन, यदि कोई हो, सहित) के लिए शुल्क लेगी।

7.0 गैस गुणवत्ता

(1) गैस विशिष्ट और दबाव

प्राधिकृत कंपनी द्वारा नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के जरिए वितरण हेतु प्रवेश बिंदु पर शिपर द्वारा दी गई या दी जाने वाली सभी गैस प्राधिकृत कंपनी द्वारा विनियमों के अनुसार गैस प्राचलों और गैस की कंपोजिशन रेंज के अनुरूप होगी।

नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क प्रवाहित किए जाने हेतु नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क में प्रवेश करने वाली सभी गैस सीजीडी प्रचालन दबाव और तापमान की रेंज के अंतर्गत होंगी। सभी प्रवेश बिंदु पर प्रवेश दबाव और तापमान शिपर और प्राधिकृत कंपनी की बीच परस्पर सहमति के आधार पर होगा।

(2) गैर-विशिष्ट गैस

ऐसी स्थिति में जब प्रवेश बिंदु पर दी जाने वाली गैस किसी गैस विशिष्ट (गैर-विशिष्ट गैस) के अनुरूप न हो, तो शिपर प्राधिकृत कंपनी को गैस विशिष्ट में अंतर होने की तत्काल सूचना देगा।

प्राधिकृत कंपनी को प्रवेश बिंदु पर गैर-विशिष्ट गैस लेने से इंकार करने का अधिकार होगा। परंतु अन्यथा उक्त गैर-विशिष्ट गैस स्वीकार कर सकती है।

यदि प्रवेश बिंदु पर प्राप्त गैस गैर-विशिष्ट गैस हो, तो प्राधिकृत कंपनी को तत्काल प्रभाव से शिपर से गैस की प्राप्ति को (पूरी तरह से या आंशिक रूप से रोकने के लिए कहने का अधिकार होगा जब तक कि प्राधिकृत कंपनी डम बात में संतुष्ट हो कि गैस जिसे शिपर, नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को गैस विशिष्ट के अनुसार देने में सक्षम होगी।

उपर्युक्त के बावजूद यदि गैर-विशिष्ट गैस ने नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में प्रवेश कर लिया है तो प्राधिकृत कंपनी शिपर से यह पूछेगी कि क्या शिपर या उसके अंतिम प्रयोक्ता और ग्राहक गैर-विशिष्ट गैस को लेने के लिए इच्छुक हैं।

शिपर इसे लेने के लिए उपयुक्त प्रयास करेगा लेकिन अन्यथा वह निकास स्थल पर गैर-विशिष्ट गैस की मुपुर्दगी लेने से मना कर सकता है।

प्राधिकृत कंपनी नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में गैर-विशिष्ट गैस का निपटान कर सकती है यदि यह नेटवर्क की अखंडता के लिए असुरक्षित हो, जैसा कि प्राधिकृत कंपनी द्वारा उचित समझा जाए, ताकि नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तथा अन्य सुविधाओं को बचाया जा सके।

गैर-विशिष्ट गैस का प्रबंधन करने के लिए व्यय हुई लागत को शिपर द्वारा वहन किया जाएगा जो ऐसी गैस को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में इंजेक्ट करता है। प्राधिकृत कंपनी द्वारा इस प्रकार निर्धारित गैर-विशिष्ट गैस शुल्क, लागत तटस्थ होगी।

8.0 प्रणाली अखंडता, अनुशासन और ग्रिड प्रबंधन

(1) नामांकन

शिपर गैस की मात्रा की सूचना प्राधिकृत कंपनी को देगा जो शिपर एक ही नियत दिवस को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर सुपुर्दगी और प्राप्ति करेगा।

यदि शिपर की गैस सुपुर्दगी आवश्यकता (आंतरिक दिवस नामांकन) में कोई परिवर्तन होता है तो शिपर संबंधित दिवस के नामांकन को पुनः प्रस्तुत कर सकता है, और इस पर उचित प्रयास आधार पर प्राधिकृत कंपनी द्वारा विचार किया जा सकता है।

शिपर विस्तृत नामांकन प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसे प्रवेश अधिकार पहुंच प्रबंध के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।

नामांकन में -

1. दिवस या दिवसों का उल्लेख किया जाएगा जिससे ये संबंधित हैं;
2. नामित मात्रा का उल्लेख किया जाएगा;
3. अंतिम प्रयोक्ता की पहचान की जाए जो नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की संबंधित मात्रा को उठाएगा; और
4. प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु का उल्लेख किया जाएगा।

नीचे दर्शाई गई तालिका में पहुंच प्रबंध के अंतर्गत प्रस्तावित दैनिक नामांकन की समय-सीमा का उल्लेख किया गया है:

दिवस	समय	नामांकन अनुसूची	टिप्पणियां
दिवस-1	1000 बजे	दिवस के लिए प्रारंभिक नामांकन की अंतिम तारीख	
दिवस	0600 बजे	संतुलन अवधि का प्रारंभ (दिवस+1 और दिवस के बीच)	
दिवस+1	0600 बजे	संतुलन अवधि की समाप्ति	

उपर्युक्त के अलावा, शिपर को वार्षिक अनुमान तथा प्राधिकृत कंपनी की प्रचालन पद्धति के अनुसार साप्ताहिक नामांकन उपलब्ध कराना होगा।

दीर्घावधि में नामांकन प्रक्रिया में शिपर के लिए भी उतनी ही छूट होगी जितनी वास्तविक रूप से संभव होती है। नई नामांकन पद्धति (प्रारंभिक प्रणाली और निर्धारित लागत दोनों के अनुसार तथा वर्तमान प्रशासनिक लागत में कोई वृद्धि या जटिलता) को लागू करने की लागत की तुलना तथा छूट के सिद्धांत में संतुलन होना चाहिए।

(2) आबंटन और अनुसूची बनाना

आबंटन एक गणितीय व्यवस्था है जिसके द्वारा प्राधिकृत कंपनी प्राकृतिक गैस को एकल या संयुक्त प्रवेश बिंदु से एकल या संयुक्त निकास बिंदुओं तक और संगत प्रवेश बिंदु या निकास बिंदु से मापी गई गैस की मात्रा के उचित शेयर की अनुसूची तक सीजीडी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में प्रत्येक शिपर को क्षमता आबंटित करती है।

(क) आबंटन प्रक्रिया

प्राधिकृत कंपनी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) में मापे गए शिपरों को प्रवेश बिंदु क्षमता तथा निकास बिंदु क्षमता का आबंटन शिपरों के बीच करेगी।

(ख) अनुसूची बनाने की प्रक्रिया

प्राधिकृत कंपनी शिपर के प्रवेश बिंदु पर प्राप्त गैस तथा वास्तविक गैस परिवहन दिवस के बाद शिपरों को मौजूदा निकास बिंदु मात्राओं के आधार पर प्रवेश बिंदु मात्राओं का आबंटन करेगी।

शिपर यह स्वीकार करता है कि प्रवेश बिंदु पर गैस की प्राप्ति या निकास बिंदु पर गैस की सुपुर्दगी नामांकन या इसके संबंध में किया गया अंतर दिवस नामांकन के बिल्कुल बराबर नहीं होता तथा परिणामस्वरूप गैस की अल्प सुपुर्दगी तथा अधिक सुपुर्दगी हो सकती है।

प्रवेश बिंदु पर सभी प्रवेश मात्रा और प्रत्येक निकास बिंदु पर निकास मात्रा को शिपरों को आबंटित किया जाएगा बिना किसी करण के जो नामांकन के संबंध में ऐसी किसी अल्प सुपुर्दगी या अधिक सुपुर्दगी होगी।

(ग) आबंटन और अनुसूची बनाने संबंधी आंकड़े

प्राधिकृत कंपनी आंकड़ों को प्रोसेस करेगी तथा शिपर को शिपरों की आबंटित मात्रा के बारे में सूचित करेगी जिसमें अधिक मात्रा लगना, अंतर और असंतुलन शामिल होगा। प्राधिकृत कंपनी अन्य शिपरों को इन आंकड़ों का खुलासा नहीं करेगी।

सामान्य प्रचालनों के अंतर्गत आबंटित आंकड़े सुनिश्चित नामांकन पर आधारित होंगे लेकिन जब क्षमता में कटौती होगी, तो आबंटित आंकड़े प्राधिकृत कंपनी द्वारा की गई सुनिश्चित कटौती मात्रा पर आधारित होंगे।

प्राधिकृत कंपनी दैनिक आधार पर संगत शिपर को आंकड़े उपलब्ध कराएगी।

(घ) अनुसूचित मात्रा की गणना

प्राधिकृत कंपनी द्वारा अनुसूचित निकासी मात्रा की गणना नीचे दिए गए अनुसार की जाएगी,

जहां -

एस = क्यू x (एन/ए)

एस = किसी शिपर को निकास बिंदु पर किसी दिवस को आबंटित गैस की मात्रा;

क्यू = एक दिन में निकास बिंदु पर सुपुर्द की गई गैस की कुल मात्रा;

एन = निकास बिंदु पर एक दिवस को शिपर की नामित मात्रा;

ए = निकास बिंदु पर एक दिवस को सभी शिपरों के नामांकन का योग।

जबकि प्राधिकृत कंपनी द्वारा गणना की गई अनुसूचित प्रवेश बिंदु मात्रा शिपर को प्राप्त वास्तविक गैस की मात्रा होगी।

(3) अधिक मात्रा लेना

(क) अधिक मात्रा लेने का तत्व और सिद्धांत

एक सीमा से अधिक मात्रा तब होती है जब शिपर अनुसूचित क्षमता से अधिक गैस परिवहन मात्रा लेता है। सभी अधिक मात्रा को अनधिकृत माना जाएगा और इस पर अनधिकृत सीमा से अधिक प्रभारों को आकृषित करेगा।

अधिक मात्रा को अग्रिम सीमा में प्राधिकृत किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकृत कंपनी के लिए इसकी प्रचालनात्मक बाध्यकारिताएं न हों, उदाहरण के लिए यदि शिपर किसी दिवस के लिए अतिरिक्त गैस परिवहन मात्रा के लिए अनुरोध करता है, तो प्राधिकृत कंपनी शिपर को उक्त मात्रा लेने के लिए प्राधिकृत करेगी बशर्ते कि पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हो।

प्राधिकृत अधिक मात्रा को परिवहन करने का मूल्य अग्रिम में उस दर पर निर्धारित किया जाएगा जो -

- (क) काफी अधिक होगी, लेकिन यह विनियमित लागू प्रभार एक दशमलव पांच गुणा से अधिक नहीं होगा ताकि शिपर सुनिश्चित पारेषण सेवा के लिए संविदा करने की बजाय अधिक मात्रा सेवा पर निर्भर रहने के लिए प्रोत्साहित न हों, बल्कि सुनिश्चित पारेषण सेवा के लिए संविदा करें; लेकिन
- (ख) इतनी भी उच्च नहीं होगी जो आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो।

प्राधिकृत कंपनी द्वारा उपर्युक्त को एक समान, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के आधार पर लागू किया जाएगा।

तथापि, अनधिकृत अधिक मात्रा पर अनधिकृत अधिक प्रभार लगेगा। अनधिकृत रूप से अधिक मात्रा लेने वाले शिपर को दंडित करने से यह सुनिश्चित होगा कि क्षमता अधिकार का बाजार, परिवहन अधिकारों के रोजाना उल्लंघन में बाधित न हो।

अधिक क्षमता लेने को, चाहे अधिकृत हो या अनधिकृत, को सामान्यतः हतोत्साहित किया जाएगा क्योंकि -

- (i) गैर-दण्ड मूल्य पर प्राधिकृत कंपनी से अल्प-नोटिस पर क्षमता प्राप्त करने की योग्यता से धारिता फर्म के क्षमता अधिकारों का मूल्य कम होगा; और
- (ii) अधिक मात्रा लेने से लागत बढ़ेगी, और इसलिए शिपर को अधिक मात्रा के प्रयोग पर निर्भर नहीं रहना होगा।

प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाए जाने की आवश्यकता है, नामतः -

- (क) आवंटित मात्रा के पांच प्रतिशत तक अधिक मात्रा लेने पर कोई प्रभार नहीं;
- (ख) अधिकृत क्षमता से अधिक लेने पर सार्थक प्रभार लिया जाएगा;
- (ग) जब नेटवर्क पर वास्तविक क्षमता अतिरिक्त हो तो प्राधिकृत कंपनी द्वारा अधिक क्षमता लेने के लिए एक बार में एक दिन की अवधि के लिए अधिकृत किया जाता है (जब तक कि इसमें कोई प्रचालन बाध्यता न आए और यह उत्कृष्ट प्रयासों पर आधारित हो)।
- (घ) जब वास्तविक क्षमता में कमी हो तो अधिक क्षमता लेने को अधिकृत नहीं किया जाएगा; और

(ड) प्राधिकृत अधिक क्षमता लेने का मूल्य होता है ताकि शिपरों को द्वितीयक बाजार में क्षमता की खरीद की बजाय लगातार प्राधिकार लेने से हतोत्साहित किया जा सके, जब ऐसी ट्रेडिंग के लिए भविष्य में विनियमों के जरिए अनुमति दी जाएगी।

(ख) अनधिकृत अधिक प्रभार लेना

शिपर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवेश बिंदु पर प्राप्त गैस की मात्रा तथा किसी दिवस को निकास बिंदु पर सुपुर्दगी की मात्रा परिवहन मार्ग की अधिकतम दैनिक मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनधिकृत अधिक प्रभार लेना = अनधिकृत अधिक मात्रा X अनधिकृत अधिक दर

अनधिकृत अधिक दर = दो सौ प्रतिशत X लागू प्रभार

अनधिकृत अधिक प्रभार की गणना प्रत्येक प्रवेश और निकास बिंदु पर स्वतंत्र और समेकित रूप से की जाएगी।

(4) संतुलन

(क) संतुलन सिद्धांत

असंतुलन तब उत्पन्न होता है जब कभी किसी प्रवेश बिंदु पर शिपर की सुपुर्दगी किसी संतुलन अवधि में ग्राहकों द्वारा उठाई जाने वाली मात्रा से भिन्न हो जो शिपर किसी निकास बिंदु पर देता है। यह मांग के अधिक होने के कारण या अनुमान से कम होने के कारण हो सकता है या इसलिए कि सुपुर्दगी संभावना से अधिक या कम या दोनों हो सकती है। असंतुलन से निपटने के लिए स्पष्ट उद्देश्य और दक्ष प्रबंधन की आवश्यकता होती है।

(ख) असंतुलन प्रभार

(i) सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 15 के उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट अनुसार शिपर द्वारा किसी विशिष्ट दिवस को देय असंतुलन प्रभार संबंधित विनियम के उप-विनियम (4) में निर्धारित के अनुसार गणना की गई संचयी असंतुलित मात्रा के उत्पाद के बराबर होगी।

(ii) सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 15 के उप-विनियम (7) में विनिर्दिष्ट अनुसार दैनिक असंतुलन गैस मात्रा को औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन खण्डों के लिए वास्तविक दैनिक मीटर आधारित राशि पर विचार करते हुए प्रत्येक पाक्षिक को शिपर तथा प्राधिकृत कंपनी के बीच दैनिक असंतुलन गैस मात्रा का निपटान किया जाएगा; निपटान की पद्धति को पहुंच प्रबंध में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। घरेलू खण्ड के लिए वास्तविक मीटर आधारित मात्रा के साथ समायोजन शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच पहुंच प्रबंध में महमति के अनुसार होगा।

(iii) असंतुलन प्रभार की गणना निम्नलिखित सूत्र पर सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 15 के उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रतिशत लागू करके आबंटित मात्रा पर निम्न लिखित सूत्रानुसार की जाएगी:

दैनिक असंतुलन प्रभार = संचयी असंतुलन मात्रा x असंतुलित दर

जहां, संचयी असंतुलन मात्रा = सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 15 के उप-विनियम (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार दिवस के अंत तक संचयी असंतुलन।

(ग) असंतुलन दर

(i) नकारात्मक असंतुलन दर

सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 15 के उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रतिशत से अधिक नकारात्मक असंतुलन मात्रा की गणना असंतुलन होने वाले दिवस को प्राधिकृत कंपनी नेटवर्क में गैस की उच्चतम लागत के एक सौ बीस प्रतिशत की दर से की जाएगी।

बशर्ते कि सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 15 के उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रतिशत तक नकारात्मक असंतुलन मात्राओं को संबंधित संहिता के विनियम 15 के उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट संरक्षण प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(ii) सकारात्मक असंतुलन दर

सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 15 के उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार अधिक प्रतिशतता में सकारात्मक असंतुलित मात्रा की गणना असंतुलन होने वाले दिवस को प्राधिकृत कंपनी नेटवर्क में गैस की न्यूनतम लागत की एक सौ प्रतिशत दर पर की जाएगी:

बशर्ते कि सीजीडी पहुंच संहिता के विनियम 15 के उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार सकारात्मक असंतुलित मात्रा को संबंधित विनियम के विनियम 15 के उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट संरक्षण के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए।

(घ) असंगत प्रभार

असंगत प्रभार वह प्रभार होता है जो गैस की प्रतिघंटा सुपर्दगी अनुसूची दर में हुई विसंगति को दर्शाता है।

शिपर द्वारा प्राधिकृत कंपनी को विसंगति के संबंध में अनुमेय सीमा तथा संबंधित प्रभार को परस्पर सहमत निबंधन एवं शर्तों तथा दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

9.0 सांविधिक लेवी

शिपर के लिए किसी सेवा के प्रावधान के दौरान प्राधिकृत कंपनी द्वारा दिए गए सभी सांविधिक लेवीयां शिपर द्वारा वहन की जाएंगी।

10.0 अन्य प्रभार

(क) प्राधिकृत कंपनी के कम प्रभार

यदि प्राधिकृत कंपनी मासिक आधार पर गणना की गई नामांकित मात्रा की अस्सी प्रतिशत तक क्षमता उपलब्ध नहीं करा पाती है तो प्राधिकृत कंपनी शिपर को पर्याप्त मुआवजा देगी। जब तक कि शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच पहुंच प्रबंध में विनिर्दिष्ट अनुसार नियोजित रखरखाव, ब्रेकडाउन, प्रणाली या नेटवर्क में खराबी, तृतीय पक्ष क्षति, अप्रत्याशित परिस्थितियां या आपात स्थिति या अन्य कोई मुद्दा हो।

मुआवजा अधिकतम शिपर और प्राधिकृत कंपनी के बीच लागू प्रभार कम से कम बीस प्रतिशत या परस्पर सहमति के आधार पर होगा।

प्राधिकृत कंपनी की पूर्ण देनदारी को इन दिशा-निर्देशों के अन्य प्रावधानों के अनुसार सीमित किया जाएगा।

(ख) शिपर के अन्य प्रभार

शिपर प्राधिकृत कंपनी को गैस, जो नष्ट या प्रयुक्त हो जाती है और जो प्रणाली के उपयोग गैस की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं होती और जिसकी गैस में गणना नहीं होती, के लिए गैस की लागत की प्रतिपूर्ति और आपूर्ति करेगा।

11.0 बीजकन और भुगतान

(क) बीजक प्रस्तुत करना

प्राधिकृत कंपनी, जब तक उपयुक्त रूप से व्यवहार्य न हो और किसी भी स्थिति में बिल की अवधि के समाप्त होने के सात दिन के बाद न हो, दी गई सेवा के लिए प्रत्येक शिपर को बीजक प्रस्तुत करेगा।

(ख) भुगतान अनुदेश

पार्टियां खाता संख्या, नाम, पता और अन्य आवश्यक भुगतान, बैंक खाते का ब्यौरा, जहां ऐसे शिपर द्वारा प्राधिकृत कंपनी को पहुंच प्रबंध करार की प्रभावी तारीख के बाद चौदह दिनों के अंदर भुगतान किया जाना है या ऐसे ब्यौरे में किसी परिवर्तन की स्थिति में कम से कम तीस दिन पहले अधिसूचित करेंगी।

(ग) कटौती

शिपर, प्राधिकृत कंपनी को भुगतान के लिए देय समस्त राशि का पूरा भुगतान करेगा और किसी राशि के लिए स्वयं से कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं करेगा अथवा कटौती नहीं करेगा।

शिपर के प्रति प्राधिकृत कंपनी किसी राशि की कटौती या प्रतिकार कर सकती है जो शिपर की राशि कंपनी के पास है।

(घ) बीजक का पूर्ण निपटान

शिपर बीजक प्राप्ति की तारीख के बाद चार बैंकिंग दिवस के अंदर प्रत्येक बीजक की पूरी राशि का निपटान करेगा। प्राधिकृत कंपनी द्वारा बीजक सामान्य व्यवसाय घंटों के दौरान टेलिफैक्स और मेल के जरिए भेजे जाएंगे और इसे शिपर द्वारा टेलिफैक्स और मेल के प्रेषण की तारीख को प्राप्त हुआ माना जाएगा।

(ड.) बीजक का समायोजन

प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच हुई सहमति के अनुसार बिलिंग चक्र के अनुरूप बीजक का कोई समायोजन प्राधिकृत कंपनी या शिपर द्वारा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी करके किया जाएगा।

क्रेडिट नोट या डेबिट नोट को प्राधिकृत कंपनी या शिपर द्वारा सामान्य व्यवसाय घंटों के दौरान टेलिफैक्स और मेल के जरिए भेजा जाएगा और इसे शिपर द्वारा टेलिफैक्स और मेल के प्रेषण की तारीख के सात दिनों के अंदर शिपर द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा।

(च) विवाद

यदि शिपर बीजक या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में किसी राशि पर विवाद उठाना चाहता है तो शिपर पहले देय तारीख को उसके द्वारा देय अनुसार दर्शाई गई पूर्ण राशि का निपटान करेगा, भले ही शिपर बीजक या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से संबंधित विवाद को उठाना चाहता हो।

शिपर प्राधिकृत कंपनी को निम्नलिखित दर्शाते हुए विवाद दर्ज करा सकता है -

- (i) बीजक, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की तारीख और संख्या
- (ii) बीजक या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट में मद, जिससे विवाद संबंधित है;
- (iii) स्पष्टीकरण का आधार जिस पर विवाद प्रस्तुत किया गया है; और
- (iv) विवाद की राशि

दोनों पक्ष संगत बीजक या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर अन्य पक्ष को विवाद दर्ज करवाएगा। यदि उक्त एक माह की अवधि में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो दोनों पक्षों को उक्त बीजक या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से उत्पन्न सभी विवाद माफ किए गए माने जाएंगे। यदि विवाद को शिपर के पक्ष में निपटाया जाता है, तो प्राधिकृत कंपनी विवाद के निपटान के सात दिनों के अंदर शिपर को देय पूरी राशि का भुगतान करेगी अन्यथा भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से पांच प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज लगाया जाएगा जो शिपर के दावे या निपटाई गई राशि के योग पर निपटान की तारीख पर प्रभावी होगा।

(छ) बीजक या डेबिट नोट के लिए विलंब भुगतान दण्ड

जहां बीजक या डेबिट नोट के अंतर्गत देय किसी राशि का भुगतान देय तारीख को या उससे पहले नहीं किया जाता है, वहां शिपर देय तारीख से भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर के ऊपर पांच प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा जो शिपर की देय राशि के योग पर होगा।

(ज) भुगतान की विफलता

यदि शिपर भुगतान के देय होने के सात दिनों के अंदर बीजक या डेबिट नोट का भुगतान करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत कंपनी को शिपर द्वारा सेवाओं का प्रयोग करने के अधिकार को रोकने का अधिकार होगा जब तक कि शिपर बीजक या डेबिट नोट का भुगतान नहीं कर देता या पहुंच प्रबंध करार रद्द नहीं कर दिया जाता।

12.0 संप्रेषण

(क) प्रस्तावना

जान-माल की रक्षा करने और गैस आपूर्ति बाधाओं को न्यूनतम करने के लिए विशेषकर आपात स्थिति में समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पार्टियों के लिए स्पष्ट और भली-भांति समझे जाने वाला संप्रेषण अनिवार्य होता है। इसमें प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच अच्छा तालमेल और संबंध कायम रखने तथा आपसी समझ और सहयोग पैदा करने में मदद मिलेगी तथा नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क का सुरक्षित, विश्वसनीय और दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करने के परस्पर लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

प्राधिकृत कंपनी और शिपर संप्रेषण प्रोटोकॉल स्थापित करेगा जो प्राधिकृत कंपनी और शिपर का सामान्य और आपात स्थितियों के दौरान मार्गदर्शन करेगा। इस प्रोटोकॉल का नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क का सुरक्षित, विश्वसनीय और दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए हर समय पालन किया जाना चाहिए।

(ख) गैस प्रबंधन प्रणाली

प्राधिकृत कंपनी वेब-आधारित गैस प्रबंधन प्रणाली (जीएमएस) की स्थापना और प्रचालन सुरक्षित करेगी, जो प्राधिकृत कंपनी और शिपर के बीच सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरण करती है।

प्राधिकृत कंपनी और शिपर जीएमएस द्वारा नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के दैनिक प्रचालन और निगरानी के प्रयोजन के लिए एक दूसरे के साथ संप्रेषण करेंगे।

34156E 114-4

जीएमएस के जरिए प्राधिकृत कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना संगत शिपर के पोर्टफोलियो तक ही सीमित होगी।

प्राधिकृत कंपनी शिपर को निम्नलिखित के लिए प्रवेश अधिकार और प्रयोग उपलब्ध कराएगी -

- (i) जीएमएस के जरिए शिपर का पोर्टफोलियो;
- (ii) जीएसएस के संबंध में स्थापित सॉफ्टवेयर; और
- (iii) जीएमएस के संबंध में प्राधिकृत कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई नियमावली या कोई सामग्री।

13.0 बंद करना

(क) प्रस्तावना

यदि प्राधिकृत कंपनी किसी दिवस को पहुंच प्रबंध के अंतर्गत सभी शिपर द्वारा नामित गैस की कुल मात्रा के परिवहन की क्षमता अपर्याप्त समझती है तो वह नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क में सेवाओं को बंद कर सकती है लेकिन ऐसी कटौती का प्राधिकृत कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) अप्रत्याशित स्थितियों के लिए बंद करना

प्राधिकृत कंपनी शिपर को सेवाओं के प्रावधान को बंद करेगी यदि -

- (क) अप्रत्याशित स्थिति घटित होती है; और
- (ख) अप्रत्याशित स्थिति के परिणामस्वरूप नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क की सूचित क्षमता में बाधा होती है ताकि प्राधिकृत कंपनी गैस अनुसूची की मात्रा का परिवहन न कर सके।

(ग) प्रचालनार्थ या सुरक्षा कारणों से बंद करना

प्राधिकृत कंपनी शिपर को सुपुर्दगी बंद कर सकती है यदि वह अपने विवेक पर यह समझती है कि ऐसा करना अनिवार्य है -

- (i) प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु, परस्पर संबंध, और डिस्ट्रिक्ट प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन (डीपीआरएस) सहित नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के रखरखाव, प्रतिस्थापन, स्थापना या मरम्मत के लिए;
- (ii) क्षति या अनुपयुक्त अवधि, नगर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क खण्ड पर या शिपर को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त संबद्ध सुविधा के कारण, जिनसे बंद करने की आवश्यकता पड़ जाती है।

(घ) आपातकाल के लिए बंद करना

प्राधिकृत कंपनी शिपर को सुपुर्दगी बंद कर सकती है यदि वह यह समझती है कि उसके विवेक पर ऐसा करना आपात स्थिति के कारण आवश्यक है, जिनसे बंद करने की आवश्यकता हो जाती है।

आपात स्थिति की आवश्यकता को प्राधिकृत कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा चाहे आपात स्थिति हो या किसी प्राधिकृत कंपनी या अन्य किसी व्यक्ति के कारण उक्त आपात स्थिति उत्पन्न हुई हो या उसमें योगदान दिया हो।

(ड.) बंद करने के लिए सेवाओं की प्राथमिकता

प्राधिकृत कंपनी अन्य शिपरों के प्रति अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए शिपर की सेवाओं के प्रावधान बंद कर सकती है। बंद करना सीजीडी पहुंच संहिता और अन्य अधिसूचित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

के. राजेश्वर राव, ओएसडी (आर)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/188/14]

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2014

1.0 Access arrangement guidelines.

F. No. Infra/CGD/Access Arrangement/1.—In exercise of the powers conferred under first proviso to clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011, the Board hereby issues the access arrangement guidelines, namely, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Model access arrangement related to access code for CGD networks) Guidelines, 2014 (hereinafter referred in as “Access Arrangement Guidelines”).

These guidelines provide the guiding principles for facilitating access arrangement between the authorized entity and the shippers as specified under the provisions of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Access Code for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2011 (hereinafter referred as “CGD Access Code”).

Words and expressions used herein these guidelines, but defined in the Act or in the rules or regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the rules or regulations, as the case may be.

2.0 Services.

The access arrangement shall contain the following services to be provided by the authorized entity to the shipper:-

- (a) receipt of gas at entry point;
- (b) receipt of gas from entry point to delivery at exit point;
- (c) delivery of gas at exit point;
- (d) measurement of gas quantity, quality, pressure, temperature and any other parameter for the purpose of metering and billing and the operational and safety requirements of city or local natural gas distribution network;
- (e) maintenance of city or local natural gas distribution network including all associated material, equipments and devices installed to service the customers;
- (f) managing shipper's gas inventory in the city or local natural gas distribution network as mutually agreed between entities.

Authorized entity may provide such other services to shipper as may be agreed in writing between authorized entity and shipper in relation to city or local natural gas distribution network.

3.0 Shipper's registration with an authorized entity and guarantees.

An entity who wishes to apply to be a shipper shall make an application in the format provided by authorized entity to be registered as a shipper after meeting the requirements in accordance with CGD Access Code. The authorized entity may make arrangements for online application to facilitate faster processing and promote transparency.

Conditions precedent for registration as a shipper shall include -

- (a) Shipper's credentials have been assessed by the authorized entity in accordance with sub-regulation (zk) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the CGD Access Code;
- (b) Authorized entity shall webhost the standard application form for registration of the shipper and standard provisions of access arrangement to be signed between shipper and authorized entity containing the standard terms and conditions of service, any other terms and conditions which may be mutually agreed but not in violation of the Access Arrangement Guidelines. Authorized entity shall acknowledge receipt of such application submitted by the applicant within seven days of receipt thereof. If all the necessary requirements as listed in the standard application form webhosted by the authorized entity are met, the authorized entity shall notify a successful applicant within ninety days of the date of receipt of the application form and shall complete all other requirements and formalities including signing of agreement for access arrangement to facilitate first gas-in within one hundred twenty days from the date of receipt of such application. In the event of rejection of application authorized entity shall inform the applicant along with the reason for rejection before the expiry of thirty days from the date of receipt of application. The applicant, if not

declared successful, may approach the Board for redressal. Decision of the Board in the matter shall be final and binding on both the parties;

- (c) Shipper shall provide and maintain payment guarantees equivalent to sixty days maximum daily quantity (MDQ) to the authorized entity in form of irrevocable revolving unconditional standby letter of credit or any other instrument as per mutual agreement. In case of gas supply to domestic consumers, the shipper shall provide payment security of one hundred twenty days of average gas consumption in the form of mutually agreed financial instrument in order to avoid any disconnection of supply to this segment in case of failure to supply gas by the shipper. Apart from the same, shipper shall also provide the necessary security deposit to the authorized entity corresponding to the Last Mile Connectivity in case of domestic connections.

4.0 Obligations of shipper and authorized entity.

Shipper shall deliver gas at entry point and receive gas at exit point.

Shipper shall ensure that all gas entering city or local natural gas distribution network shall conform to gas specification and shall be within operational range of pressure and temperature to flow in city or local natural gas distribution network. The entry pressure and temperature at all entry point shall be the mutually agreed pressure between the shipper and the authorized entity.

Shipper shall pay all dues and provide such guarantee, surety and security as may be required to meet its commercial obligations under the access arrangement.

Shipper shall be responsible for billing and collection of dues from its customers for natural gas, while for applicable charges entity shall raise bills on the shipper. As meter reading is the responsibility of the entity for domestic, industrial and commercial customers, the entity shall have right to charge meter reading charges from the shipper as may be mutually agreed. Shipper shall also be responsible for any complaints from its customers in relation to billing and collection for natural gas and shall be dealt as per the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Code of Practice for Quality of Service for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2010.

Authorized entity shall transport gas received at entry point through city or local natural gas distribution network and shall deliver gas at exit point.

Authorized entity shall be responsible for the overall management of city or local natural gas distribution network and its related services.

Authorized entity shall act as a supplier of last resort for the domestic customers in case of any default by the shipper.

5.0 Facilities at the entry point and exit point.

- (a) The access arrangement shall list out the facilities provided by the authorized entity to the shipper.
- (b) The access arrangement shall indicate if the authorized entity or the shipper owns, maintains and operates all facilities at the entry point and exit point.
- (c) Authorized entity shall have unrestricted access as per regulation 8 of the CGD Access Code for implementing the provisions of the access arrangement and other relevant notified Regulations under the Act and the shipper, upon reasonable notice, as the case may be, may inspect entry point and exit point facilities at its own costs.
- (d) Authorized entity and shipper shall adhere to one standard time at the respective locations for the purpose of measurement, as specified.
- (e) The maintenance of the facilities, whether owned by the shipper or by the authorized entity, shall be done periodically in accordance with the relevant provisions of regulation 19 of the CGD Access Code and relevant regulations notified under the Act.

- (f) The charges borne by the shipper for additional facilities as may be necessary including automation at entry or exit point and domestic meters provided by authorized entity to the shipper shall be at actual cost incurred by the authorized entity for providing such facility.
- (g) In case of acts of pilferage or misconduct by the shipper or shipper's customers, the authorized entity shall have the right to suspend or disconnect the supply of natural gas under intimation to the shipper citing valid reasons for the same. The shipper shall thereafter ensure that the required penalties and gas reconciliation differences are paid to the authorized entity before reinstating the supply of gas. Further, the shipper shall contribute in proportion to its share of gas supplies in the network of authorized entity for gas loss due to third party damage.

6.0 Service obligations.

(1) Metering.

The rights, interests, covenants, and obligations of shipper and authorized entity in respect of the measurement and analysis of gas transported in city or local natural gas distribution network by authorized entity shall be as set out in authorized entities code of practice for metering in accordance with regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Code of Practice for Quality of Service for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2010.

The authorized entity shall provide metering facilities at entry point at the cost of shipper or as agreed in the access arrangement. The measuring equipment shall be installed and maintained by authorized entity to measure the quantity of gas-

- (a) received into city or local natural gas distribution network at each entry point; and
- (b) delivered through each exit point.

Authorized entity shall make provisions for measurement of quality of gas at each entry point or use the facility provided by the upstream pipeline service provider or gas supplier and in case of any dispute on the quality of gas at the exit point, measure the same through a mutually acceptable methodology. In case of any fault in the meter of authorized entity, the expenses on this account shall be borne by the authorized entity and in case no fault is found in the meter, the expenses shall be borne by the shipper. The design of the metering facility shall comply with all applicable laws and regulations as well as with authorized entity's Code of Practice for Metering and as specified in Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

(2) Alternative Ownership of measuring equipment.

Alternative ownership of the measuring equipment, if required, shall be mutually agreed between authorized entity and the shipper in the access arrangement.

(3) Validation and calibration.

The process and procedure of the validation and calibration to be carried out on the measuring equipment shall be in accordance with the authorized entity's code of practice for metering and complying with regulations on technical standards.

The party responsible for the operation and maintenance of measuring equipment shall at their own expense-

- (a) validate said measuring equipment; and
- (b) calibrate said measuring equipment as and when deemed necessary and as may be prescribed in authorized entity's code of practice for metering.

Authorized entity may, where necessary, undertake additional checks on the measuring equipment owned by shippers.

When carrying out validation or calibration, as the case may be, on its measuring equipment, authorized entity shall invite relevant shippers to witness the process. However, such validation or calibration shall not be stopped or withheld or postponed due to non-availability of the shipper.

In the event there is a dispute on the result of the validation of measuring equipment, the disputing party shall notify the other party within seven days from the date of validation.

3415 GE/14-5

Authorized entity may instruct an independent expert to verify the validation. If the expert finds the validation to be accurate, then, the disputing party shall bear the cost of said validation and the cost of the independent expert. In case, the validation of measuring equipment is found inaccurate, the authorized entity shall not only bear the entire cost of the exercise but shall also compensate the shipper towards losses (to the extent of error from the date of dispute), if any, arising due to faulty measurement in the following billing cycle.

(4) Operation and maintenance of the measuring equipment.

Entity owning the measuring instrument shall be responsible for the operation and maintenance of all measuring equipment in accordance with the code of practice for metering of the authorized entity and complying with technical standards. However, in case of entry point and in case of industrial and commercial customers, wherein the cost of measuring equipment is borne by the shipper, the authorized entity shall charge for the installation, operation and maintenance (including necessary replacements if any) of the measurement facility as per mutual agreement.

7.0 Gas quality.

(1) Gas specification and pressure.

All gas delivered or to be delivered by shipper at entry point for distribution through city or local natural gas distribution network by authorized entity shall conform to gas parameters as per regulations and as well as range of gas composition as declared by authorized entity.

All gas entering city or local natural gas distribution network shall be within the range of CGD operating pressure and temperature for it to flow in city or local natural gas distribution network. The entry pressure and temperature at all entry point shall be the mutually agreed between the shipper and the authorized entity.

(2) Off-specification gas.

In the event that gas to be delivered at any entry point does not comply with gas specification (off-specification gas), shipper shall inform authorized entity promptly of a deviation from gas specification.

Authorized entity shall have the right to refuse off-specification gas at entry point, but otherwise may accept such off-specification gas.

If gas received at entry point is off-specification gas, authorized entity shall have the right to suspend (completely or partially) receipt of gas from shipper with immediate effect until authorized entity is satisfied that gas which shipper is able to deliver to city or local natural gas distribution network is within gas specification.

Notwithstanding the above, in the event off-specification gas has entered into city or local natural gas distribution network, authorized entity may make enquiries to shipper as to whether the shipper or its end-user and customer is willing to accept the off-specification gas.

Shipper shall use reasonable endeavor to accept but otherwise may refuse to take delivery of off-specification gas at exit point.

Authorized entity may dispose of off-specification gas that has entered into city or local natural gas distribution network if it is unsafe for the integrity of the network, in a manner deemed fit by authorized entity, in order to protect city or local natural gas distribution network and other facilities.

The cost incurred to manage the off-specification gas shall be borne by shipper who injected such gas into city or local natural gas distribution network. The off-specification gas charges so determined by the authorized entity shall be cost neutral.

8.0 System integrity, discipline and grid management.

(1) Nomination.

Shipper shall notify authorized entity of quantities of gas which shipper intends to deliver at each entry point and receive at each exit point of the city or local natural gas distribution network on a day (D).

Shipper may also re-submit nomination on the day, in case, there be any changes to shipper's gas delivery requirements (intra-day nomination) and the same may be considered by the authorized entity on reasonable endeavour basis.

Shipper shall comply with detailed nomination procedure which is provided for in the access arrangement. A nomination shall-

1. specify day or days to which it relates;
2. specify nominated quantity;
3. identify the end-user which shall off-take the corresponding quantity of gas from the city or local natural gas distribution network; and
4. specify the entry point and exit point.

The table below illustrates the proposed daily nomination timeline under the access arrangement.

Day	Time	Nomination schedule	Remarks
D-1	1000 hrs	Deadline for initial nomination for day D	
D	0600 hrs	Start of balancing period (between D+1 and D)	
D+1	0600 hrs	End of balancing period	

In addition to the above, shipper needs to provide annual estimates and weekly nomination in line with authorized entity's operating practice.

In the long term, the nomination process shall be as flexible for shippers as is physically possible. There shall be a balance in the principle of flexibility against the cost of introducing new nomination procedures (both in terms of initial systems and set-up costs and any increase in on-going administrative costs or complexity).

(2) Allocation and scheduling.

Allocation is a mathematical arrangement whereby authorized entity allocates capacity to each shipper in a CGD or local natural gas distribution network to transport natural gas from a single or a combination of entry point to a single or combination of exit points and schedule the proper share of the quantity of gas measured from the relevant entry point or exit point.

(a) Allocation process.

Authorized entity shall allocate entry point capacity and exit point capacity among shippers measured in Million British Thermal Unit (MMBTU).

(b) Scheduling process.

Authorized entity shall allocate entry point quantities, based on the actual quantity of gas received at the entry point for the shipper and exit point quantities, among shippers after actual gas transport day.

Shipper acknowledges that receipt of gas at entry point or delivery of gas at exit point may not exactly match the nomination or intra-day nomination made in respect of it and consequently under deliveries and over deliveries of gas may occur.

All of entry quantity at entry point and exit quantity at each exit point shall be allocated to shippers regardless of the reason for any such under deliveries or over deliveries with respect to nominations.

(c) Allocation and scheduling data.

Authorized entity shall process the data and inform shipper of shippers' allocated quantity including overrun, variance and imbalance. Authorized entity shall not disclose such data to other shippers.

Under normal operations, the allocated data shall be based on confirmed nomination, but when capacity curtailment occurs, the allocated data shall be based on the confirmed curtailment quantity imposed by authorized entity.

Authorized entity shall make available the data to relevant shipper on a daily basis.

(d) Calculation of scheduled quantity.

Scheduled exit quantity shall be calculated by authorized entity in accordance with the calculation as set out below, where -

$$S = Q \times (N/A)$$

S = quantity of gas allocated to a shipper on the day at exit point;

Q = aggregate quantity of gas delivered at exit point on the day;

N = shipper's nominated quantity on the day at exit point;

A = aggregate of all shippers' nominations on the day at exit point.

Whereas the scheduled entry point quantity calculated by the authorized entity shall be the quantity of actual gas received for the shipper.

(3) Overruns.

(a) Overruns philosophy and principles.

An overrun occurs when a shipper takes gas transportation quantities in excess of scheduled capacity. All overruns shall be treated as unauthorized and attract unauthorized overrun charges.

Overruns may be authorized in advance if they cause no operational constraints for the authorized entity, e.g. if a shipper requested excess gas transportation quantities for a day, the authorized entity shall authorize the shipper to take such quantities if sufficient capacity were available.

The price of transporting the authorized overrun quantity shall be set beforehand at a rate that shall be -

- (a) high enough, but not more than one point five times the regulated applicable charges so that shippers are not incentivized to rely on overrun service, rather than contracting for firm transmission service; but
- (b) not so high as to be economically inefficient.

The above shall be applied on a uniform, transparent and non discriminatory basis by the authorized entity.

However, unauthorized overruns shall carry unauthorized overrun charges. Penalizing shippers that flow an unauthorized overrun helps to ensure that the market for capacity rights is not disrupted by routine violation of transportation rights.

Capacity overruns, whether authorized or unauthorized, shall in general be discouraged because -

- (i) the ability to obtain capacity at short notice from the authorized entity at non penal prices shall tend to undermine the value of holding firm capacity rights; and
- (ii) overruns may impose costs, and, therefore, shippers shall not rely on the use of overruns.

Following principles need to be followed between authorized entity and shippers, namely:-

- (a) no charges upto overrun of five per cent. of the allocated quantity;
- (b) unauthorized capacity overruns attract a significant charges;
- (c) when there is spare physical capacity on the network, capacity overruns are authorized by the authorized entity (so long as it imposes no operational constraints and is on best endeavor basis) for a period of one day at a time;
- (d) capacity overruns shall not be authorized when there is a shortage of physical capacity; and
- (e) authorised capacity overruns are priced so as to discourage shippers from persistently seeking authorization rather than purchasing capacity in secondary market when such trading is allowed through regulations in future.

(b) Unauthorized overrun charges.

Shipper must ensure that quantities of gas received at entry point and delivered at exit point in any day do not exceed the maximum daily quantity of the transportation path.

Unauthorized Overrun charges = unauthorized overrun quantity x unauthorized overrun rate

Unauthorized overrun rate = two hundred per cent. x applicable charge

Unauthorized overrun charges shall be calculated independently for each entry and exit point and aggregated.

(4) Balancing.**(a) Balancing principles.**

An imbalance arises whenever a shipper's deliveries at the entry point in any balancing period differ from the off-takes of the customers that the shipper serves at the exit point. This may occur either because demand is higher or lower than expected or because deliveries are higher or lower than expected, or both. Clear objective and efficient arrangements to address imbalances are required.

(b) Imbalance charges.

- (i) As specified in sub-regulation (6) of regulation 15 of the CGD Access Code, the imbalance charges payable by the shipper for any particular day shall be equal to the product of the cumulative imbalance quantity calculated as stipulated in sub-regulation (4) of that regulation and the imbalance rates specified in the access arrangement.
- (ii) As specified in sub-regulation (7) of regulation 15 of the CGD Access Code, the daily imbalance gas quantities shall be settled between the shipper and the authorized entity every fortnight considering actual daily metered amounts for industrial, commercial and transport segments and assuming a mutually agreed daily consumption quantity of gas for domestic segment; the methodology for the settlement shall be specified in the access arrangement. The reconciliation with actual metered quantity for the domestic segment shall be as agreed in the access arrangement between the shipper and the authorized entity.
- (iii) Imbalance charge is calculated on the allocated quantity by applying the percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 of the CGD Access Code on the following formula:

Daily Imbalance charge = cumulative imbalance quantity x imbalance rate

wherein, cumulative imbalance quantity = cumulative imbalance at the end of a day as specified in sub-regulation (4) of regulation 15 of the CGD Access Code.

(c) Imbalance rate.

- (i) The negative imbalance rate.

The negative imbalance quantities in excess of percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 of the CGD Access Code shall be calculated at the rate of one hundred twenty per cent. of the highest cost of gas in the authorized entities network on the day of imbalance occurrence:

Provided for the negative imbalance quantities upto the percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 of the CGD Access Code shall be set-off as per provisions of curing specified in sub-regulation (5) of regulation 15 of that code.

- (ii) The positive imbalance rate.

The positive imbalance quantities in excess of percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 of the CGD Access Code shall be calculated at the rate one hundred per cent. of the lowest cost of gas in the authorized entities network on the day of imbalance occurrence:

Provided that the positive imbalance quantities upto the percentages as specified in sub-regulation (5) of regulation 15 of the CGD Access Code shall be set-off as per the provisions of curing specified in sub-regulation (5) of regulation 15 of that regulation.

(d) Variance charges.

The variance charges are the charges against the deviations in hourly delivery schedule rate of gas.

3415 GI/14-6

Allowable limits with respect to the variance and the corresponding charges shall be paid by the shipper to the authorized entity as per the mutually agreed terms and conditions and rates.

9.0 Statutory levies.

All statutory levies incurred by the authorized entity during the provision of any service for shipper shall be borne by the shipper.

10.0 Other charges.

(a) Authorized entity's shortfall charges.

The authorized entity shall pay adequate compensation to the shipper in case the authorized entity is unable to provide capacity up to eighty per cent. of the nominated quantity calculated on a monthly basis unless there is a planned maintenance, breakdown, system or network failure, third party damage, force majeure or an emergency or any other issues as specified in the access arrangement between the shipper and authorized entity.

The compensation shall be equivalent to a minimum of twenty per cent. of the applicable charges or as mutually agreed between the shipper and the authorized entity.

The total liability of the authorized entity shall be capped as per other provisions of these guidelines.

(b) Shippers' other charges.

The shipper shall reimburse and supply to the authorized entity the cost of gas for the gas which is either lost or used and is not covered under the definition of system use gas and lost and unaccounted for gas.

11.0 Invoicing and payment.

(a) Submission of invoice.

Authorized entity shall, as soon as reasonably practicable and in any event not later than seven days after the end of the billing period, submit an invoice to each shipper for the service rendered.

(b) Payment instructions.

Parties shall notify each other of the account number, the name, address and other necessary payment details of the bank account to which payments are to be made by such shipper to authorized entity within fourteen days after the effective date of access agreement or in the event of any change to such details not less than thirty days before such change is effective.

(c) Set-off.

Shipper shall pay in full all amounts due for payment by shipper to authorized entity and shall not make any set-off or deduction against any amounts.

Authorized entity may deduct or set-off from any amount due to shipper any amount owed by shipper to authorized entity.

(d) Full settlement of invoice.

Shipper shall settle the full amount of each invoice within four banking days following the date of receipt by shipper of the invoice. The invoice shall be sent by authorized entity through telefax and mail during the normal business hours and shall be deemed to have been received by shipper on the date of the dispatch of the telefax and mail.

(e) Adjustments to invoice.

Any adjustment to invoice as per billing cycle as agreed to between authorized entity and shipper shall be done by authorized entity or shipper through an issuance of debit note or credit note.

The credit note or debit note shall be sent by authorized entity or shipper through telefax and mail during normal business hours and shall be deemed to have been received by shipper within seven days of the date of the dispatch of the telefax and mail.

(f) Dispute.

If shipper wishes to raise dispute of any amount in an invoice or debit note or credit note, shipper shall first settle the full amount shown as payable by shipper on the due date irrespective of the fact that shipper intends to raise a dispute concerning the invoice or debit note or credit note.

Shipper may notify the dispute to authorized entity specifying -

- (i) the date and number of the invoice or debit note or credit note;
- (ii) the item in the invoice or debit note or credit note to which the dispute relates;
- (iii) an explanation of the basis on which the dispute is submitted; and
- (iv) the amount of the dispute.

Both parties shall notify any dispute to the other party within one month from the date of receipt of the relevant invoice or debit note or credit note. If no such notifications are made within the said one month, then, both parties are deemed to have waived all disputes arising from the said invoice or debit note or credit note. If the dispute settles in favour of shipper, authorized entity shall make the entire payment due to the shipper within seven days of the settlement of the dispute failing which interest at the rate of five per cent. above State Bank of India's base rate from the date of settlement on the sum of the shipper's claim or settled amount shall be applicable.

(g) Late payment penalty for invoice or debit note.

Where any amount payable under an invoice or debit note is not paid on or before the due date, the shipper shall pay interest at the rate of five per cent. above State Bank of India's base rate from the due date on the sum of the shipper's dues.

(h) Failure of payment.

If shipper fails to pay the invoice or debit note within seven days after payment is due, authorized entity shall have the right to suspend shipper's right to use services until shipper pays the invoice or debit note or terminate access agreement.

12.0 Communication.**(a) Introduction.**

A clear and well understood communication procedure is essential for parties to react in a timely manner especially in emergency situation in order to protect lives and properties and to minimize gas supply interruptions. This shall help to establish a good rapport and relationship as well as foster mutual understanding and co-operation between authorized entity and shippers in meeting mutual goal of ensuring the safe, reliable and efficient operations of city or local gas distribution network.

Authorized entity and shipper shall establish the communication protocol that shall guide authorized entity and shipper during normal and emergency situations. This protocol shall be adhered to at all times to ensure safe, reliable and efficient operations of the city or local gas distribution network.

(b) Gas management system.

Authorized entity may secure the establishment and operation of a web-based, gas management system (GMS) which provides for an electronic transfer of information between authorized entity and shipper.

Authorized entity and shipper may communicate with each other for the purposes of the daily operation and monitoring of city or local gas distribution network by means of GMS.

The information provided by authorized entity through GMS shall be limited only to the relevant shipper's portfolio.

Authorized entity may provide shipper with access and use of the following -

- (i) shipper's portfolio via GMS;
- (ii) software installed in respect of the GMS; and
- (iii) manuals or any materials provided by authorized entity in respect of the GMS.

13.0 Curtailment.**(a) Introduction.**

Authorized entity may deem it necessary to curtail services in city or local gas distribution network on a day in the event capacity to transport the total quantity of gas nominated by all shippers under the access arrangement is insufficient and such curtailment shall not have any financial implications on the authorized entity.

(b) Curtailment for force majeure.

Authorized entity may curtail provision of services to shipper if -

- (a) an event of force majeure occurs; and
- (b) as a result of the event of force majeure, the scheduled capacity of city or local gas distribution network is constrained so that authorized entity cannot transport the quantities of gas scheduled.
- (c) Curtailment for operational or safety reasons.

Authorized entity may curtail deliveries to shipper if it considers, in its discretion, it is necessary doing so -

- (i) for maintenance, replacement, installation or repair of city or local gas distribution network or associated facilities including entry point and exit point, interconnections, and district pressure regulating stations (DPRS);
- (ii) because of damage to, or an outage on, a city or local gas distribution network segment or associated facility used to provide services to shipper giving rise to the need to curtail.

(d) Curtailment for emergency.

Authorized entity may curtail deliveries to shipper if it considers, at its discretion, it is necessary to do so by reason of emergency, giving rise to the need to curtail.

The existence of an emergency shall be determined by authorized entity irrespective of the cause of emergency or whether authorized entity or any other person may have caused or contributed to the said emergency.

The procedures applicable in the event of emergency shall be set out in the access arrangement and communication protocol agreed between the parties.

(e) Priority of services for curtailment.

Authorized entity may curtail the provision of services to shipper to meet its obligations to other shippers. Curtailment shall be in accordance with the provisions of the CGD Access Code and other notified regulations.

K. RAJESWARA RAO, OSD (R)

[ADVT. III/4/Exty./188/14]